न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 160 / 2018 **दायरा दिनांक : 12.09.2018**

उनवान

1– दर्शन पुत्र रामकल्याण, जाति दर्जी, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2– नवल पुत्र रामकल्याण, जाति दर्जी, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3– केशव पुत्र रामकल्याण, जाति दर्जी, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

4– शशिप्रभा बेवा रामकल्याण, जाति दर्जी, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– आयुक्त, देवस्थान विभाग रामपुरा, कोटा

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 24.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 9 / 2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना एवं विधि के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है । ग्राम बालापुरा पटवार हल्का नाहरगढ़ की

आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा 6 बीघा 8 बिस्व व खसरा नम्बर 85 रकबा 5 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा आराजी पूर्व में माफी की आराजियात थी जो माफी रिज्यूम होने के बाद तत्कालीन पुजारी सूरजमल उर्फ सूरजदास वल्द छीतरदास के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन की गई तथा सूरजमल उर्फ सूरजदास वल्द छीतरदास द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.01.1967 को अपीलांटगण के पिता रामकल्याण पुत्र जगन्नाथ जाति दर्जी निवासी नाहरगढ़ को विक्रय की गई तथा कब्जा संभलाया गया । विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल क्रमांक 11 खोला जाकर तस्दीक किया गया किन्तु बिना अपीलांटगण के पिता को सुनवाई का अवसर दिये राजस्थान सरकार के परिपत्र के आधार पर 1991 में पुनः अन्य आराजियात के साथ अपीलांट के पिता के खाते की आराजी भी माफी मन्दिर श्री बालाजी के नाम दर्ज कर दी गई । वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट वादी खातेदार का कब्जा चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियात का विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं किया है । अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.07.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी माफी की नहीं थी । वादग्रस्त आराजी सूरजदास पुत्र छीतरदास बैरागी के नाम दर्ज थी । दिनांक 11.02.1967 में वादग्रस्त आराजी हमारे नाम आ गई । 1963 में माफी रिज्यूम हो गई जो कब्जे में था वो खातेदार टीनेन्ट हो गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 2000 पेज 109 की नजीर उद्धरत की ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्याालय ने प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित किया है । तनकीवार विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादी अपीलांट पर था । इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक रिकार्ड विवादित आराजी माफी मन्दिर श्री बाला जी के खाते दर्ज मानी है । मूर्ति माफी की जमीन है । दिनांक 01.07.1963 को माफी रिज्यूम होने पर मन्दिर मूर्ति के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि उसकी खातेदारी बरकरार रहती है इस आधार पर तनकी अपीलांट के विरूद्ध निर्णीत की गई है, जो सही है।

तनकी नम्बर 2 को सिद्ध करने का भार भी वादी अपीलांट पर था । इस सम्बन्ध में इंतकाल नम्बर 11 दिनांक 11.02.1967 को वादी के नाम तस्दीक हुआ परन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में सम्वत 2016–2035 व रजिस्टर्ड नकल बन्दोबस्त मौजा बालापुरा सन् 1926–1928 अनुसार भूमि माफी मन्दिर बाला जी बिराजमान के खाते दर्ज थी । वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के अनुसार भी उक्त भूमि माफी मन्दिर श्री बाला जी दर्ज राज है । इस तनकी को भी सिद्ध करने में अपीलांट वादी असफल रहे हैं ।

तनकी नम्बर 3 का सार तनकी नम्बर 1 व 2 में आ चुका है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी को अलग से निर्णीत नहीं किया गया है जो सही है ।

राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग के पत्र क्रमांक प03(2)राज–6/07/19 दिनांक 25.11.2011 के निर्देशानुसार जमाबंदी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे । उनमें देव मूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नहीं लिखा जावे । प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मन्दिर के पुजारियों के सम्बन्ध में तहसील स्तर पर सलंग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मन्दिर के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन रजिस्टर में किया जावे । जमाबंदी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2016–2035 में माफी मन्दिर बाला जी वाके देह नाम पुजारी छीतरलाल पुत्र माधोदास बैरागी साकिन देह दर्ज है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यहां प्रकरण में मन्दिर शास्वत् नाबालिग है मूर्ति के सिवायत मैनेजर, नौकर, मजदूर द्वारा काश्त की गई भूमि मूर्ति की मानी जावेगी । माफी का पुनर्ग्रहण दिनांक 01.07.1963 अर्थात् सम्वत 2020 में हुआ है । उस रोज भी वादी वादग्रस्त आराजी पर अपनी हैसियत टीनेन्ट होना प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । ऐसी सूरत में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, मूर्ति शाश्वत् नाबालिग है । सन् 1991 आर0 आर0 डी0 पेज 6 में माननीय उच्च न्यायालय ने धारा 46 अधिनियम के अधीन मूर्ति को ज्यूरिस्टिक व्यक्ति मानते हुए एवं उसे नाबालिग मानते हुए जागीर एक्ट के प्रभाव में आने के समय धारा 9 जागीर अधिनियम के अन्तर्गत यदि खातेदार की हैसियत से कोई व्यक्ति ऐसी भूमि पर जो मूर्ति की खुद काश्त की नहीं है और जिसे टीनेन्ट द्वारा काश्त किया जा रहा हो तो जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात् उक्त भूमि में टीनेन्ट की खातेदारी ही मानी जावेगी । इस प्रकार प्रथम तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मूर्ति शाश्वत् नाबालिग है एवं पुजारी या सिवायत मूर्ति की सम्पत्ति का मालिक नहीं होता है । बल्कि वह मूर्ति का एक संरक्षक है । इस प्रकार मूर्ति की माफी की जमीन है वह दिनांक 01.07.1963 को माफी रिज्यूम होने पर मन्दिर की मूर्ति के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं बल्कि उनकी खातेदारी बरकरार रहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त विवेचन में हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते हैं तथा उक्त विवेचनानुसार विचाराधीन प्रकरण में ग्राम बालापुरा खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत 2016–2035 के अनुसार माफी मन्दिर श्री बाला जी वाके देह बहतनाम पुजारी छीतरदास पुत्र माधोदास जाति बैरागी उक्त मन्दिर का पुजारी सिवायत था, न कि खातेदार । इंतकाल नम्बर 11 दिनांक 11.02.1967 में जो बेचान का उल्लेख किया गया है वह विधि अनुरूप प्रतीत नहीं होता है । माफी मन्दिर मूर्ति की भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता है । वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के अनुसार वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि माफी मन्दिर श्री बाला जी वाके देह खातेदारी में दर्ज है । ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार अन्य को नहीं दिये जा सकते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट वादी का वाद पत्र खारिज किया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते हैं ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– दर्शन पुत्र रामकल्याण, जाति दर्जी, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां
2– नवल पुत्र रामकल्याण, जाति दर्जी, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां
3– केशव पुत्र रामकल्याण, जाति दर्जी, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां
4– शशिप्रभा बेवा रामकल्याण, जाति दर्जी, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

..... **अपीलांट**

बनाम

1– आयुक्त, देवस्थान विभाग रामपुरा, कोटा
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज

..... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **160/2018**
मु.द.नं0 **9/2014**

एवं नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज**
निर्णय व डिकी दिनांक – **19.04.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 24 माह **02** सन् **2021**

हाजरी **श्री ओ पी मेहता** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.04.2018 यथावत रखा जाता है।

बावत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **24** माह **03** सन् **2021** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)